प्रकरण संख्या–14/17 तारीख रजु–20.07.2017

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

1. प्रहलाद पुत्र नारायण आयु 60 साल
2. कैलाश पुत्र परसादी आयु 35 साल

} सभी जातियान माली निवासीयान मेला गेट, चटीकना, करौली तहसील व जिला करौली

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैया पुत्र रामबक्स
2. रघुनाथ पुत्र भगवती

} सभी जातियान माली निवासीयान दंग मौहल्ला, करौली, तहसील व जिला करौली

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अंतरण अंतर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक–03.10.2017

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि गैरसायलान की ओर से एक दावा उनवानी कन्हैया बनाम परसादी नम्बरी दावा 39/06 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली तारीख पेशी 21.07.2017 में लंबित है। उक्त दावे को गैरसायलान रघुनाथ ही कंटेस्ट कर रहा है अन्य कोई दावे में कंटेस्ट वादी नहीं है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थीयान दावा हाजा में उपस्थित होकर कंटेस्टन्ट है। दावा दिनांक 17.03.2006 से लंबित है। दावा हाजा में बहुत ही धीमी गति से कार्यवाही होकर दावा चलता रहा है। दिनांक 24.09.2009 को तनकीयात कायम की गई तब जाकर दिनांक 12.11.2004 को वादी की ओर से एक बयान कराया गया। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 07.04.2015 को ही शपथ पत्र बयान पेश कर दिया गया था। दावा हाजा में वादी के वकील श्री रामजीलाल अग्रवाल हैं जिनके जूनियर वकील श्री हेमराज माली स्वयं मुकदमे में पक्षकार हैं और वादी संख्या 2 रघुनाथ के पुत्र हैं। पीठासीन अधिकारी करौली जिले के ही निवासी हैं और उपखण्ड न्यायालय में बावजूद रिटायरमेण्ट श्री सुरेन्द्र सिंघल रीडर का कार्य कर रहे हैं। जब से पीठासीन अधिकारी गोयल करौली आये हैं, तब से ही रिटायरमेण्ट के बाद भी श्री सुरेन्द्र कुमार रीडर का कार्य कर रहे हैं। वादी वकील हेमराज सैनी सारे दिन श्री सुरेन्द्र कुमार के साथ मंत्रणा करते रहते हैं और इस प्रकार दावा हाजा को वकील श्री हेमराज माली येन केन प्रकारेण मुकदमे को जीतने के लिए जोर लगा रहे हैं और कहते फिर रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी गोयल साहब का रिटायरमेण्ट नजदीक है। हमने पीठासीन अधिकारी और रीडर से साज कर चुके हैं। मुकदमे को रिटायरमेण्ट से पूर्व निपटाना है वादी अपने पक्ष में फैसला करा लेंगे। दावा दिनांक 28.02.2017 से ही बहस फाईनल में चल रहा था किन्तु जब तक वादीगण के वकील वादी तथा पीठासीन अधिकारी के रीडर के मार्फत सैटिंग नहीं हो गई, दावा में बहस फाईनल नहीं सुनी गई। सैटिंग हो जाने के

Collector करौली

बाद यह सोचकर अब एस.डी.ओ. का रिटायरमेण्ट नजदीक है, दावा हाजा में एक दर. आर्डर 7 रूल 14 सी.पी.सी. पेश की गई जिसका जबाब 28.06.2017 को पेश किया गया तथा दिनांक 28.06.17 को उक्त दावा में आर्डर 7 रूल 14 सी.पी.सी. की बहस दस्तावेज सुनी जाकर आदेश के बाबत् तारीख पेशी 04.07.17 दी गई थी। प्रार्थी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस तारीख 04.07.17 को आदेश होना था उससे पहले ही 28.06.17 को रीडर द्वारा दस्तावेज स्वीकृत का आदेश अपनी कलम से लिख दिया गया जिस पर एस.डी.ओ. साहब ने भी बैकडेट में हस्ताक्षर कर दिये। एस.डी.ओ. गोयल साहब एडवोकेट व रीडर व रामजीलाल अग्रवाल के जूनियर वकील हेमराज सैनी पक्षकार मुकदमा होने के बावजूद रीडर रिटायरमेण्ट के बावजूद एस.डी.ओ. के यहां रीडर के रूप में कार्य करने के बावत् कार्य कर रहे हैं। मुझे मुकदमें हाजा में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही है। अंत में दावा संख्या 39/06 को अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थीगण ने प्रकरण में जबाव पेश कर निवेदन किया है कि सभी वादीगण प्रकरण में पक्षकार है और सभी दावे को कंटेस्ट कर रहे हैं। उपखण्ड अधिकारी गत 1 वर्ष से अधिक अर्से से पीठासीन अधिकारी हैं और सुरेन्द्र सिंघल को रिटायरमेण्ट के बाद राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। उपखण्ड अधिकारी के द्वारा उनको पदस्थापित नहीं किया गया है। यह सही है कि हेमराज सैनी श्री रामजीलाल अग्रवाल एडवोकेट की ऑफिस में काम करते हैं तथा राजस्व प्रकरणों में उपस्थित होते रहते हैं इसलिये सुरेन्द्र कुमार व हैमराज सैनी का मंत्रणा करना गलत दर्ज किया है और पीठासीन अधिकारी आपस में साज कर चुके हैं यह तथ्य निराधार है और रिटायरमेण्ट से पूर्व रोजाना प्रकरणों का निस्तारण पीठासीन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी व रीडर के खिलाफ जो आरोप आरोपित किये हैं वह कतई गलत हैं और झूंठे हैं। सही बात यह है कि प्रतिवादीगण का दावा हाजा में कोई वजूद साबित नहीं है। और वादीगण के पूर्वज रामबक्स मुंशीजी की जमीन को मात्र रामवख्श को अपना पूर्वज निराधार तौर बताते हुए 1/2 हिस्से की जमीन को प्रतिवादीगण द्वारा हड़पने का प्रयास है। वादी के पक्ष में फैसला कराना होता तो प्रतिवादीगण की बहस को वादी की बहस के बाद ही पूरी सुनवाई करके तय कर देते जब वादी की बहस का सही उत्तर प्रतिवादी की ओर से नहीं बना तो रीडर व पीठासीन अधिकारी पर झूठे आक्षेप लगाकर प्रकरण का निस्तारण 11 वर्ष बाद भी प्रतिवादीगण नहीं होने देने के लिये यह झूंठी कहानी गढ़ी गई है। इसलिये दरख्वास्त सायलान विशेष हर्जे के साथ खारिज होने योग्य है। वादीगण के वकील व पीठासीन अधिकारी की सेटिंग रीडर के मार्फत हो इसका कोई आधार दर्ज नहीं है। बहस फाईनल में प्रतिवादीगण की ओर से जबाव देही करनी है जिसकों गलत दरख्वास्त के आधार पर टालना चाहते हैं और प्रतिवादीगण ही जानबूझ कर दावा में बहस नहीं सुना रहे हैं। झूठे

जिला कलेक्टर
करौली

लांछन लगाकर प्रकरण को अनाधिकार रूप से लंबित करना चाहते हैं। वादी गैरसायलान की ओर से आर्डर 7 रूल 14 सी.पी.सी. की दरख्वास्त के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को एवं जबाव के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया है। यदि यह आदेश गैरकानूनी सायलान मानते हैं तो इस आदेश के विरुद्ध अपील/रिवीजन में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता भी थी। चुप रहने से यह माना जावेगा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश वैधानिक है। दस्तावेज को 28.06.2017 को रिकार्ड पर लेने बाबत् आदेश स्वयं पीठसीन अधिकारी का हस्ताक्षरित है और वैधानिक है। उपजिला कलक्टर द्वारा बैकडेट में हस्ताक्षर किये हों, यह कथन निराधार है। जिस तारीख में आर्डर 7 रूल 14 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वाद बहस 28.06.2017 को रीडर द्वारा पीठासीन अधिकारियों के निर्देशों पर ही दर्ज किया है। तारीख की भूल कैसे हुई इसके बाबत् प्रार्थीगण लाइल्मी हैं। अन्य अदालत में सुनवाई हेतु भेजे जाने में गैरसायलान को कोई आपत्ति नहीं है। और यदि प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों की असत्यता पाई जावे तो कम से कम 5000/– रुपये विशेष हर्जे पर प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि प्रार्थना पत्र के समर्थन में सायलान की ओर से शपथ पत्र तक प्रस्तुत नहीं किया है। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी का बहस में कथन है कि गैरसायलान की ओर से एक दावा उनवानी कन्हैया बनाम परसादी नम्बरी दावा 39/06 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली तारीख पेशी 21.07.2017 में लंबित है। उक्त दावे को गैरसायलान रघुनाथ ही कंटेस्ट कर रहा है अन्य कोई दावे में कंटेस्ट वादी नहीं है। दावा दिनांक 17.03.2006 से लंबित है। दावा हाजा में बहुत ही धीमी गति से कार्यवाही होकर दावा चलता रहा है। दिनांक 24.09.2009 को तनकीयात कायम की गई तब जाकर दिनांक 12.11.2014 को वादी की ओर से एक बयान कराया गया। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 07.04.2015 को ही शपथ पत्र बयान पेश कर दिया गया था। दावा हाजा में वादी के वकील श्री रामजीलाल अग्रवाल हैं जिनके जूनियर वकील श्री हेमराज माली स्वयं मुकदमें में पक्षकार हैं और वादी संख्या 2 रघुनाथ के पुत्र हैं। पीठासीन अधिकारी करौली जिले के ही निवासी हैं और जब से करौली आये हैं, तब से ही बावजूद रिटायरमेण्ट श्री सुरेन्द्र कुमार रीडर का कार्य कर रहे हैं। वादी वकील हेमराज सैनी सारे दिन श्री सुरेन्द्र कुमार के साथ मंत्रणा करके येन केन प्रकारेण मुकदमे को जीतने के लिए कहते फिर रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी गोयल साहब का रिटायरमेण्ट नजदीक है। हमने पीठासीन अधिकारी और रीडर से साज कर चुके हैं। मुकदमे को रिटायरमेण्ट से पूर्व वादी अपने पक्ष में फैसला करा लेंगे। दावा दिनांक 28.02.2017 से ही बहस फाईनल सैटिंग उपरांत ही सुनी गई। सैटिंग हो जाने के बादएस.डी.ओ. का रिटायरमेण्ट नजदीक है, दावा हाजा में एक दर. आर्डर 7 रूल 14 सी.पी.सी. पेश की गई जिसका जबाब 28.06.2017 को पेश किया गया तथा दिनांक 28.06.17 को उक्त दावा में आर्डर 7 रूल 14 सी.पी.सी. की बहस दस्तावेज सुनी जाकर आदेश के बाबत् तारीख पेशी 04.07.17 दी गई थी। प्रार्थी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस तारीख 04.07.17 को आदेश

जिला कलक्टर
करौली

होना था उससे पहले ही 28.06.17 को रीडर द्वारा दस्तावेज स्वीकृत का आदेश अपनी कलम से लिख दिया गया जिस पर एस.डी.ओ. साहब ने भी बैकडेट में हस्ताक्षर कर दिये। मुझे मुकदमें हाजा में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही है। अतः दावा संख्या 39/06 को अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किया जावे।

वकील अप्रार्थी का बहस में कथन है कि सभी वादीगण प्रकरण में पक्षकार है और सभी दावे को कंटेस्ट कर रहे हैं। उपखण्ड अधिकारी गत 1 वर्ष से अधिक अर्से से पीठासीन अधिकारी हैं और सुरेन्द्र सिंघल को रिटायरमेण्ट के बाद राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। उपखण्ड अधिकारी के द्वारा उनको पदस्थापित नहीं किया गया है। हेमराज सैनी श्री रामजीलाल अग्रवाल एडवोकेट की ऑफिस में काम करते हैं तथा राजस्व प्रकरणों में उपस्थित होते रहते हैं। पीठासीन अधिकारी आपस में साज कर चुके हैं यह तथ्य निराधार है। रिटायरमेण्ट से पूर्व रोजाना प्रकरणों का निस्तारण पीठासीन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी व रीडर के खिलाफ जो आरोप आरोपित किये हैं वह कतई गलत हैं और झूंठे हैं। प्रतिवादीगण का दावा हाजा में कोई वजूद साबित नहीं है। और वादीगण के पूर्वज रामबक्स मुंशीजी की जमीन को मात्र रामवख्श को अपना पूर्वज निराधार तौर बताते हुए 1/2 हिस्से की जमीन को प्रतिवादीगण द्वारा हड़पने का प्रयास है। जब वादी की बहस का सही उत्तर प्रतिवादी की ओर से नहीं बना तो रीडर व पीठासीन अधिकारी पर झूठे आक्षेप लगाकर प्रकरण का निस्तारण 11 वर्ष बाद भी प्रतिवादीगण नहीं होने देने के लिये यह झूंठी कहानी गढ़ी गई है। इसलिये दरख्वास्त सायलान विशेष हर्जे के साथ खारिज होने योग्य है। वादीगण के वकील व पीठासीन अधिकारी की सेटिंग रीडर के मार्फत हो इसका कोई आधार दर्ज नहीं है। बहस फाईनल में प्रतिवादीगण की ओर से जबाव देही करनी है जिसकों गलत दरख्वास्त के आधार पर टालना चाहते हैं और प्रतिवादीगण ही जानबूझ कर दावा में बहस नहीं सुना कर प्रकरण को अनाधिकार रूप से लंबित करना चाहते हैं। वादी गैरसायलान की ओर से आर्डर 7 रूल 14 सी.पी.सी. की दरख्वास्त के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को एवं जबाव के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया है। यदि यह आदेश गैरकानूनी सायलान मानते हैं तो इस आदेश के विरुद्ध अपील/रिवीजन में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता भी थी। चुप रहने से यह माना जावेगा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश वैधानिक है। दस्तावेज को 28.06.2017 को रिकार्ड पर लेने बाबत् आदेश स्वयं पीठसीन अधिकारी का हस्ताक्षरित है और वैधानिक है। उपजिला कलक्टर द्वारा बैकडेट में हस्ताक्षर किये हों, यह कथन निराधान है। जिस तारीख में आर्डर 7 रूल 14 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वाद बहस 28.06.2017 को रीडर द्वारा पीठासीन अधिकारियों के निर्देशों पर ही दर्ज किया है। तारीख की भूल कैसे हुई इसके बाबत् प्रार्थीगण लाइल्मी हैं। अन्य अदालत में सुनवाई हेतु भेजे जाने में गैरसायलान को कोई आपत्ति नहीं है। और यदि प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों की असत्यता पाई जावे तो कम से कम 5000/– रुपये विशेष हर्जे पर प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि प्रार्थना पत्र के समर्थन में सायलान की ओर से शपथ पत्र तक प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

जिला कलक्टर
करौली

(7)

प्रकरण संख्या–14/17 तारीख रजु–20.07.2017

उपखण्ड अधिकारी, करौली ने पत्रांक राजस्व/2017/5458 दिनांक 02.08.17 से कथन किया है कि उपखण्ड कार्यालय करौली में रीडर का कार्य श्री कमलाकांत शर्मा सहायक कार्यालय अधीक्षक करौली हाल प्रतिनियुक्ति उपखण्ड कार्यालय करौली द्वारा किया जा रहा है। श्री सुरेन्द्र कुमार सिंहल इस कार्यालय में संविदाकर्मी के रूप में कार्यरत है। प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्य सारहीन व तर्कसंगत नहीं हैं। इस पत्रावली में किसी भी पार्टी या वकील से किसी भी प्रकार की कोई सेटिंग नहीं हुई है। पत्रावली नियमित तारीख पेशीयों पर चलकर कार्यवाही जेरकार है। चूंकि अधोहस्ताक्षकर्ता इस जिले के रहने वाले हैं एवं कार्मिक विभाग को तीन बार लिखित में भी दी जा चुकी है। यदि यह पत्रावली सुनवाई हेतु किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, करौली एवं रीडर, कार्यालय उपखण्ड करौली पर लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से आरोप असत्य प्रतीत होते हैं। रीडर का कार्य भी सुरेन्द्र सिंघल द्वारा नहीं किया जाकर कमलाकांत शर्मा, सहायक कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा वादीगण की बहस फाईनल का जबाव नहीं बनता देखकर प्रकरण को देरीना किया जाने को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, करौली को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमित सुनवाई करके शीघ्र ही प्रकरण का निस्तारण करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली